



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक- 07 जून, 2024

थाना कोतवाली देहात

03 हजार क्विंटल खाद्यान्न की कालाबाजारी में संलिप्त 02 अभियुक्त गिरफ्तार ।

जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 07-06-2024 को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा एक अभिसूचना के आधार पर ब्रह्ममन्द टी प्वाइंट के पास से खाद्यान्न की कालाबाजारी के अभियोग में वांछित दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली देहात पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. अरविन्द उर्फ पिकी पुत्र कल्याण सिंह निवासी ग्राम मिर्जापुर थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।
2. वकील खां पुत्र छंगे खां निवासी ग्राम चिड्वा सलेमपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार अभियुक्तगण 03 हजार क्विंटल खाद्यान्न का गबन/कालाबाजारी करने में संलिप्त है जिसके संबंध में थाना कोतवाली देहात पर मुअसं- 300/24 धारा 409/407/420/120बी/201 भादवि व 3/7 आवश्यक वस्तु अधि० पंजीकृत है।

अभियुक्त अरविन्द उर्फ पिकी का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं- 17/14 धारा 279/338/304/ए/427 भादवि थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर ।
2. मुअसं- 300/24 धारा 409/407/420/120बी/201 भादवि व 3/7 आवश्यक वस्तु अधि० थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्त वकील खां का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं- 300/24 धारा 409/407/420/120बी/201 भादवि व 3/7 आवश्यक वस्तु अधि० थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. श्री सोमवीर सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली देहात
2. श्री देवेन्द्र सिंह निरीक्षक
3. उ०नि० कुमार पवन
4. है०का० नितिन राणा



मीडिया सेल, बुलंदशहर